

Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

Section 8 : Intra-State supply.

- (1) Subject to the provisions of section 10, supply of goods where the location of the supplier and the place of supply of goods are in the same State or same Union territory shall be treated as intra-State supply:

Provided that the following supply of goods shall not be treated as intra-State supply, namely: –

- (i) supply of goods to or by a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit;
 - (ii) goods imported into the territory of India till they cross the customs frontiers of India; or
 - (iii) supplies made to a tourist referred to in section 15.
- (2) Subject to the provisions of section 12, supply of services where the location of the supplier and the place of supply of services are in the same State or same Union territory shall be treated as intra-State supply:

Provided that the intra-State supply of services shall not include supply of services to or by a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

Explanation 1 – For the purposes of this Act, where a person has, –

- (i) an establishment in India and any other establishment outside India;
- (ii) an establishment in a State or Union territory and any other establishment outside that State; or Union territory; or
- (iii) an establishment in a State or Union territory and any other establishment ¹[****] registered within that State or Union territory,

then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons.

Explanation 2 – A person carrying on a business through a branch or an agency or a representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory.

¹ The words "being a business vertical" omitted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 8 : राज्य के भीतर पूर्ति

(1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन माल की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और माल की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा :

परन्तु माल की निम्नलिखित पूर्ति को राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :-

- (i) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा माल की पूर्ति;
- (ii) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहद को पार करता है;
- (iii) धारा 15 में निर्दिष्ट किसी पर्यटक को की गई पूर्तियां।

(2) धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन, सेवाओं की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और सेवा की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा :

परन्तु सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति के अन्तर्गत किसी आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा सेवा की पूर्ति नहीं आएगी।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यक्ति के पास,—

- (i) भारत में कोई स्थापन है और भारत के बाहर कोई अन्य स्थापन है;
- (ii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और उस राज्य के बाहर कोई अन्य स्थापन है;
- (iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और कोई अन्य स्थापन ¹[.....] उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर रजिस्ट्रीकृत है,

तो ऐसे स्थापनों को विभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—किसी राज्यक्षेत्र में किसी शाखा या किसी अभिकरण या किसी प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति को उस राज्यक्षेत्र में स्थापन रखने वाले के रूप में समझा जाएगा।

1 शब्द "जो कारबार शीर्ष है" एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।